नम्बर 05/15/223

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अकबर बेग V/s आलम बेग

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	2014/00049 श्री सीताराम रावत श्री एन.के. जैन -1, से 8 GA-9	
13.8.2021	(see below)	

13.8.2021

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । विद्वान वकील रेस्पो0 ने आवेदन पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश कर कथन किया कि अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.5.2005 एवं दिनांक 29.3.2008 के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है जबकि दोनों ही आदेश व निर्णय भिन्न–भिन्न है । इस कारण विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार दोनों आदेश निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अपील संधारण योग्य नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि आदेश दिनांक 29.3.2008 जिसकी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.5.2005 के साथ अपील पेश की गई है जबकि आदेश दिनांक 29.3.2008 के विरूद्ध अपील ही प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, निगरानी का प्रावधान है । इस प्रकार दोनों आदेश व निर्णय भिन्न–भिन्न होने से दोनों आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 659 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

जवाब में विद्वान वकील अपीलांटस ने कथन किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 के विरूद्ध अपील पेश की है साथ ही यह भी कथन रहा है कि इसी पत्रावली में दिनांक 29.3.2008 को आदेश पारित हुआ है इसलिये दोनों आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जो संधारण योग्य है । अतः प्रारंभिक आपत्ति निरस्त की जावे ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश/निर्णय का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आलम बेग वगैरह द्वारा राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद संख्या 74/2003 अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 को पारित कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा किये जाने के उपरांत प्रार्थी द्वारा तहसीलदार द्वारा की गई पालना से असंतुष्ट होकर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2006 को पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.7.2007 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 27.11.2007 द्वारा स्वीकार की जाकर मौके की पुनः जांच कर नवीन निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये । न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 29.3.2008 को पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भू–प्रबंध अधिकारी, अजमेर को तहरीर जारी करने के आदेश प्रदान कर ग्राम जिलावड़ा के आराजी वर्किंग खसरा नंबर 910 व 914 के बीच खाली रकबे का नाप करवाकर वर्किंग खसरा नंबर 913 मिन रकबा 0–8–0 का अंकन राजस्व नक्शे में नियमानुसार किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस ने हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

NSD

5/15/223 अकबर बेग V/s आलम बेग वगै.

लगातार

न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 74/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 एवं प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 29.3.2008 के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि विधिनुसार अपीलांटस को निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 तथा प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 29.3.2008 के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील पेश करनी चाहिये थी। अधी0न्याया0 द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र में अलग–अलग दिनांक में अलग–अलग निर्णय पारित किये गये है जिससे इन दोनों निर्णयों के विरूद्ध प्रस्तुत एक अपील विधिनुसार संधारण योग्य नहीं है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा दो अलग–अलग निर्णयों कमशः दिनांक 7.5.2005 एवं 29.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत एक ही अपील विधिविरूद्ध होने से निरस्त की जाती है किन्तु न्याय का विस्तृत दृष्टिकोण एवं नरम रूख अपनाते हुए, अपीलांटस अधी0न्याया0 द्वारा पारित अलग–अलग निर्णयों के विरूद्ध (न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते समय को ध्यान में रखकर) पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

अतः रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा दो अलग–अलग निर्णयों दिनांक 7.5.2005 एवं 23.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत एक अपील संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 13.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर